संख्या:-39/2026/920/78-1-2026-78-01099/48/2026

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2026

विषयः- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि में शिथिलता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-1198/78-1-2020-05/2020, दिनॉक 20 अगस्त 2020 द्वारा ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020'' अधिसूचित की गयी। तत्पश्चात आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-1830/78-1-2022-05आई0टी0/2020, दिनॉक 18-11-2022 द्वारा उक्त को संशोधित कर उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के नाम से प्रख्यापित किया गया। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-170/78-1-2026-26/2025, दिनांक 07 फरवरी 2026 द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 की वैधता को 20 अगस्त 2025 के उपरान्त अतिरिक्त दो वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत प्रस्तर-4.1 में निवेशकों हेतु निम्नवत् व्यवस्था दी गई है:-

''(i) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और उन्हें विधिवत् लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त हुआ किन्तु 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण नहीं कर सके, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किया जायेगा।

(ii) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया किन्तु स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के साथ ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर लिया है, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

(iii) जिन निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया है, किन्तु ना तो उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और ना ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर सके, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। ऐसे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद 12 माह का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जायेगा। यदि निवेशक ने नीति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा 31 मार्च 2023 तक वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर पाने में असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ की वसूली शासन/ प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन नई इकाइयों के लिए लागू हैं। तथापि क्षमता विस्तार/विविधीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां केवल पूंजी उपादान के लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होंगी कि क्षमता विस्तार/ विविधीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि हो।

(क) पिछली किसी भी नीति के अन्तर्गत पहले से ही विद्युत शुल्क का लाभ प्राप्त करने वाले निवेशक, बढ़े हुए भार पर भी स्वीकृत कार्यकाल तक शेष विद्युत शुल्क लाभ के लिए पात्र होंगे।

(ख) विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवेदन करने वाली नई इकाइयों के लिए कोई विद्युत शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगी।

नीति अवधि के विस्तार पर निर्णय नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।''

2- अग्रेतर ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के विस्तार के सन्दर्भ में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-170/78-1-2026-26/2025, दिनांक 07 फरवरी 2026 में यह व्यवस्था दी गई है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अंतर्गत वर्णित समयावधि और प्रोत्साहन के विषयगत किसी भी प्रकार की शिथिलता व प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष लाये जायेंगे और उपरोक्त विषयगत निवेश के कट-ऑफ एवं वाणिज्यिक परिचालन की समयावधि में शिथिलता व इकाई को अनुमन्य प्रोत्साहन की सीमा मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा इस विषय में किये गये निर्णय के अधीन अनुमन्य की जा सकेगी।

3- मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेक्टर-156, फेज-2, नॉयडा के भूखण्ड संख्या 10 नॉयडा में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण (Electronic Manufacturing) जैसेकि एल.ई.डी. लाइटिंग, तथा इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स के उत्पादन हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था जिसपर नीति कार्यान्वयन इकाई की दिनांक 04 जुलाई 2019 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया था। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा पुनः निर्देश दिये गये थे कि इकाई को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात, इकाई द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई/यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को ऋण स्वीकृति-पत्र उपलब्ध कराया जाये। तदक्रम में नोडल संस्था द्वारा मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रॉविजनल लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 05 अगस्त 2019 को एवं अन्तिम लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 18 मार्च 2021 को निर्गत किया गया।

4- मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना के प्रथम चरण के वाणिज्यिक कार्यकलाप, नीति की वैधता अवधि के पश्चात, 15 अप्रैल 2023 को आरम्भ हुए हैं तथा लेटर ऑफ कम्फर्ट के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु आवेदन किया गया है। मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोडल संस्था को प्रेषित अपने पत्र में परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन में विलम्ब हेतु निम्नलिखित कारण सूचित किये गये हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भूमि उत्खनन की अनुमति प्राप्त न होने के कारण निर्माण में विलम्ब हुआ। (आवेदन की तिथि 30 दिसम्बर 2020 और भूमि उत्खनन हेतु अनुमोदन की तिथि 29 अक्टूबर 2021 है)

(2) मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स को फैक्ट्री स्थल हेतु सेक्टर 156 में भूखण्ड संख्या 10 आवंटित हुआ, जोकि यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के समीप स्थित है। इसके कारण विगत वर्ष और हाल ही में यमुना में आई बाढ़ के दौरा फैक्ट्री स्थल पर पानी भर गया जिससे सम्पूर्ण निर्माण कार्य बाधित हो गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एनजीटी की अधिसूचना के कारण समय-समय पर निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चार से अधिक अवसरों पर निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया जिससे फैक्ट्री स्थल और भवन पर चल रहा सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बन्द हो गया।

5- इस सम्बन्ध में सशक्त समिति की दिनांक 15 जुलाई 2025 को सम्पन्न बैठक में व्यापक चर्चा और सम्यक विचारोपरान्त राज्य में दृष्टिगत निवेश के सकारात्मक वातावरण के दृष्टिगत उद्योग को यथासम्भव प्रोत्साहन करने हेतु ऐसे निवेशक, जिनके द्वारा वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर दिया है, उन्हें नीति के अनुरूप लाभ प्रदान किये जाये, पर सैद्धॉतिक सहमति दी गयी।

6- अतएव मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड जिनके द्वारा अपनी परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अवधि (31 मार्च 2023) के उपरान्त किया गया है, को वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि में, परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि यथा 15 अप्रैल 2023 तक, शिथिलता प्रदान की जाती है। प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी वाणिज्यिक परिचालन में हुये विलम्ब के लिये प्रश्नगत इकाई द्वारा बताये गये कारणों की प्रामाणिकता से पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

7- तदुरुप नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु विचाराधीन परियोजना की पात्रता सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि "उ०प्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" (यथासंशोधित) के प्राविधानों एवं सशक्त समिति द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा हो। साथ ही सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिधित करेंगे तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए नोडल संस्था यूपीएलसी स्वयं उत्तरदायी होगी। परियोजना निवेश की जानकारी के सापेक्ष निवेशक द्वारा कुल निवेश को, परियोजना पूर्ण होने की समय-सीमा में पूर्ण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समीर

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in